



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032025-261794
CG-DL-E-21032025-261794

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1273]

नई दिल्ली बुधवार, मार्च 19, 2025/फाल्गुन 28, 1946

No. 1273]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2025/PHALGUNA 28, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2025

का.आ. 1289(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 144ए के कि.मी. 90+150 से कि.मी. 116+980 तक अखनूर से पुँछ रोड तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डिप्टी कमिश्नर भूमि अधिग्रहण अधिकारी-राजौरी आफिस-राजौरी जिला-राजौरी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी जिले में 144ए के कि.मी 90+150 से कि.मी. 116+980 तक अखनूर से पुँछ रोड के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: जम्मू और कश्मीर			जिले का नाम: राजौरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नौशेरा					
गांव का नाम: अनायतपुर					
1	47 min	निजी	असिंचित	0.0197 (हेक्टेयर)	0.0197
2	95 min	सरकारी	असिंचित	0.0125 (हेक्टेयर)	0.0125
गांव का नाम: संगपुर					
3	20min	निजी	असिंचित	0.0053 (हेक्टेयर)	0.0053
4	22/1min	निजी	असिंचित	0.0108 (हेक्टेयर)	0.0108
5	22min	निजी	असिंचित	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
6	23min	निजी	असिंचित	0.0037 (हेक्टेयर)	0.0037
7	29min	निजी	असिंचित	0.0008 (हेक्टेयर)	0.0008
8	469min	निजी	असिंचित	0.0064 (हेक्टेयर)	0.0064
9	474min	निजी	असिंचित	0.0086 (हेक्टेयर)	0.0086
10	476min	निजी	असिंचित	0.0056 (हेक्टेयर)	0.0056
11	481min	सरकारी	असिंचित	0.0125 (हेक्टेयर)	0.0125
12	497min	निजी	असिंचित	0.0109 (हेक्टेयर)	0.0109
13	513min	निजी	असिंचित	0.0047 (हेक्टेयर)	0.0047
14	527min	निजी	असिंचित	0.0008 (हेक्टेयर)	0.0008
15	592min	निजी	असिंचित	0.0064 (हेक्टेयर)	0.0064
16	593min	निजी	असिंचित	0.0022 (हेक्टेयर)	0.0022
17	596min	निजी	असिंचित	0.0108 (हेक्टेयर)	0.0108
18	597 min	निजी	असिंचित	0.0142 (हेक्टेयर)	0.0142

19	618min	सरकारी	असिंचित	0.0154 (हेक्टेयर)	0.0154
गांव का नाम: डुगानी					
20	70 min	निजी	असिंचित	0.025 (हेक्टेयर)	0.025
कुल योग					0.178

[फा.सं. 5/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2025

S.O. 1289(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder etc.) maintenance, management and operation of NH 144A in the stretch of land from Km. 90+150 to Km. 116+980 (Akhnoor to Poonch Road) in the district of Rajouri in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, The Deputy Commissioner Land Acquisition Rajouri H Q., Rajouri District Rajouri in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH 144A in the stretch of land from Km. 90+150 to Km. 116+980 (Akhnoor to Poonch Road) in the district of Rajouri in the Union Territory of JAMMU & KASHMIR.

State: JAMMU & KASHMIR			District: Rajouri		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nowshera					
Village: Anayatpur					
1	47 min	Private	Non - Irrigated	0.0197 (Hectare)	0.0197
2	95 min	Government	Non - Irrigated	0.0125 (Hectare)	0.0125
Village: Sangpur					
3	20min	Private	Non - Irrigated	0.0053 (Hectare)	0.0053
4	22/1min	Private	Non - Irrigated	0.0108 (Hectare)	0.0108

5	22min	Private	Non - Irrigated	0.0017 (Hectare)	0.0017
6	23min	Private	Non - Irrigated	0.0037 (Hectare)	0.0037
7	29min	Private	Non - Irrigated	0.0008 (Hectare)	0.0008
8	469min	Private	Non - Irrigated	0.0064 (Hectare)	0.0064
9	474min	Private	Non - Irrigated	0.0086 (Hectare)	0.0086
10	476min	Private	Non - Irrigated	0.0056 (Hectare)	0.0056
11	481min	Government	Non - Irrigated	0.0125 (Hectare)	0.0125
12	497min	Private	Non - Irrigated	0.0109 (Hectare)	0.0109
13	513min	Private	Non - Irrigated	0.0047 (Hectare)	0.0047
14	527min	Private	Non - Irrigated	0.0008 (Hectare)	0.0008
15	592min	Private	Non - Irrigated	0.0064 (Hectare)	0.0064
16	593min	Private	Non - Irrigated	0.0022 (Hectare)	0.0022
17	596min	Private	Non-Irrigated	0.0108 (Hectare)	0.0108
18	597 min	Private	Non-Irrigated	0.0142 (Hectare)	0.0142
19	618min	Government	Non - Irrigated	0.0154 (Hectare)	0.0154
Village: Dugani					
20	70 min	Private	Non - Irrigated	0.025 (Hectare)	0.025
Total					0.178

[F. No. 5/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director